इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2013—आषाढ़ 19, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. 15548-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 10 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०१३.

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, २०१३.

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम, २०१३ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २९ सन् १९६७ की धारा २ द्वारा यथास्थापित मूल नियम (फण्डामेंटल-रूल्स) ५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) की धारा २ में, मूल नियम (फण्डामेंटल रूल्स) के नियम ५६ में,—

(एक) उपनियम (१) में, दो बार आने वाले कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द

"(१-झ) एवं (१-ञ)" के स्थान पर, कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द "(१-झ), (१-ञ) एवं (१-ट)" स्थापित किए जाएं;

"(दो) उपनियम (१-ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(१-ट) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, १९८१ की अनुसूची-१ में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक सदस्य उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, १९८१ की अनुसूची-१ में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक ऐसा सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का कोई सदस्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, १९८१ के अनुसार चिकित्सा बीमा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया कोई शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, और उसमें ऐसे चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किए गए हों, और जिन्होंने चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कम से कम बीस वर्ष तक सेवा की हो बशर्ते कि वे मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) में किसी पद पर धारणाधिकार रखते हों.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक ३ सन् २०१३), एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, १९८१ की अनुसूची-१ में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) के प्रत्येक सदस्य की अधिवार्षिकी-आयु ६० वर्ष है. पिछले कुछ दिनों से सरकार उक्त श्रेणी के अधिकारियों की अत्यधिक कमी का सामना कर रही है. उपरोक्त कमी को दूर करने की दृष्टि से, सरकार, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) को यथोचित रूप से संशोधित करते हुए उपरोक्त श्रेणी के अधिकारियों की अधिवार्षिकी-आयु ६५ वर्ष तक बढ़ाना प्रस्तावित करती है.

२. चूंकि, मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं था अत: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक ३ सन् २०१३) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का एक अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : ६ जुलाई, सन् २०१३

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

वित्तीय ज्ञापन

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, २०१३ के प्रावधानों के प्रभावशील होने से संबंधित शासकीय सेवकों की बढ़ी हुई अधिवार्षिकी आयु तक वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों के मद में रुपये ४.४४ करोड़ प्रतिवर्ष व्ययभार आना संभावित है.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

चिकित्सा पद पर नियुक्त कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) के प्रत्येक सदस्य की अधिवार्षिकी आयु ६० वर्ष है. उक्त श्रेणी के अधिकारियों की कमी को दूर करने की दृष्टि से उनकी अधिवार्षिकी आयु को ६० वर्ष से बढ़ाकर ६५ वर्ष करने के लिए मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) में संशोधन आवश्यक था.

अत: कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) सेवा के चिकित्सकों की सेवाओं को उक्त अधिनियम की परिधि में लाये जाने के लिये अधिनियम की धारा २ में मूल नियम के नियम ५६ में उपनियम (१-ञ) के पश्चात् (१-ट) जोड़ जाना आवश्यक हो गया था. चूंकि, मामला अत्यावश्यक था एवं विधान सभा का सत्र चालू नहीं था इसलिये मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी- आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) में संशोधन करने हेतु ''मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी- आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१३'' (क्रमांक ३ सन् २०१३) महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक ३० अप्रैल, २०१३ को प्रख्यापित किया गया.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.